संख्या ए-12023/1/2011-प्रशा.-IV

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,
डॉ. आर.पी. रोड, नई दिल्ली
दिनांक: 10 जून, 2011

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार/शासकीय समापक ।
4. सभी उच्च न्यायालय ।
5. सचिव, कंपनी विधि बोर्ड ।
6. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल ।
7. कारपोरेट कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली मुख्यालय के सभी अधिकारी।

विषय: कंपनी विधि बोर्ड में सदस्य (न्यायिक) और सदस्य (तकनीकी) के पदों के भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड के निम्नलिखित पदों के लिए संलग्नक-I में दिए गए फार्मेट में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

(i) न्यायिक सदस्य -1 (एक) पद (अनारक्षित)

(ii) तकनीकी सदस्य - 2 (दो) पद (01 - अनारक्षित, 01 - अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित)

चुने गए उम्मीदवारों को आवश्यकता पर निर्भर करते हुए किन्ही चार स्थानों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई में सेवा करना अपेक्षित है तथा स्थान के बारे में कोई पसंद नहीं होगी।

2. कंपनी विधि बोर्ड (सेवा के सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और अन्य शर्तें) नियमावली, 1993 के अनुसार कोई व्यक्ति **<u>न्यायिक सदस्य</u>** के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हक नहीं जब तक कि:

(क) उसने भारत के क्षेत्र में किसी न्यायिक पद पर कम से कम दस वर्ष कार्य किया हो; अथवा

(ख) वह कम से कम दस वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो अथवा वह कुल 10 वर्ष की अवधि के लिए आंशिक रूप से न्यायिक पद पर रहा हो तथा आंशिक रूप से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की हो; अथवा

(ग) वह केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा (लीगल ब्रांच)/इंडियन कंपनी लॉ सेवा (लीगत ब्रांच) का सदस्य है अथवा रहा है तथा वह उक्त सेवा में, कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के पद पर है अथवा उस पर कार्य किया है; अथवा

(घ) वह इंडियन लीगत सेवा का सदस्य है अथवा रहा है तथा वह उक्त सेवा में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रेड-I के पद पर है अथवा रहा है।

3. कोई व्यक्ति **<u>तकनीकी सदस्य</u>** के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह:-

(क) केन्द्रीय कंपनी विधि सेवा (लीगल ब्रांच)/इंडियन कंपनी लॉ सेवा (लेखा ब्रांच) का सदस्य है अथवा रहा है तथा उक्त सेवा में कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में रहा है; अथवा

(ख) कम से कम तीन वर्ष के लिए केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भारत सरकार का संयुक्त सचिव है अथवा रहा है अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन अन्य कोई पद जिसका वेतनमान भारत सरकार के संयुक्त सचिव के वेतनमान से कम नहीं है और उसे कंपनी विधि से संबंधित समस्याओं से निपटने का पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव हैं; अथवा

(ग) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अधीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष से प्रैक्टिस कर रहे हो अथवा की हो; अथवा

(घ) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अंतर्गत लागत एवं संकर्म लेखाकार के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष से प्रैक्टिस कर रहा हो, अथवा की हो; अथवा

(ङ) जैसा कि कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 2 का खंड (45क) में परिभाषित है पूर्णकालिक प्रैक्टिस में सचिव के रूप में कम से कम पंद्रह वर्ष कार्य अनुभव हो तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य हो।

4. कोई व्यक्ति जिसने आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख को जब तक पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वह सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

5. सदस्य अपने वेतन पे बैंड एचएजी+67000 (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3% 79000/- रुपए तथा इसके अतिरिक्त यथा अनुज्ञेय भत्ते प्राप्त करेगा। चुने गए व्यक्ति, यदि वे पहले ही सरकारी सेवा में है तो उसे कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति से पहले सेवानिवृत्ति लेनी होगी।

6. प्रत्येक सदस्य बासठ वर्ष की आयु होने तक अथवा राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के गठन तथा कार्यकरण तक इनमें जो भी पहले हो तक कार्य करेगा।

7. चुने गए व्यक्तियों को इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ की दृष्टि से उपयुक्त घोषित करना होगा, जब तक कि उसे समकक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले से ही स्वस्थ घोषित कर दिया गया हो।

8. <u>सरकारी सेवा में पहले ही सेवारत व्यक्तियों के आवेदन पत्र समुचित माध्यम से अग्रेषित किए जाने चाहिए। अग्रेषित किए जाने वाले प्राधिकारियों को यह भी प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदन की प्रविष्टियों का रिकार्ड से सत्यापन कर लिया गया है तथा ये सही पाई गई हैं और यह कि अधिकारी के विरूद्ध कोई अनुशासनिक/सतर्कता कार्यवाही</u>

न तो लंबित है और न ही अपेक्षित है तथा पिछले दस वर्ष के दौरान अधिकारी पर को भारी/लघु शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है। अग्रेषण प्राधिकारियों को आवेदक की अद्यतन गोपनीय रिपोर्ट डोजियर भी संलग्न करनी चाहिए।

9. **संलग्नक-I** में दिए गए फार्मेट में समुचित रूप से पूर्ण आवेदन श्री जयकांत सिंह, निदेशक, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, 'ए' विंग, 5वीं मंजिल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को अधिक से अधिक 19 जुलाई, 2011 तक पहुंच जाने चाहिए। आवेदन मंत्रालय की वेबसाइट ***www.mca.gov.in तथा कंपनी विधि बोर्ड की वेबसाइट www.clb.gov.i***n से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

भवदीय

ह/-

(जे.बी. कौशिश)

अवर सचि, भारत सरकार

दूरभाष: 2338 7939

संलग्नक-I

कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के पद के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)		पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटोग्राफ चिपकाई जानी चाहिए।
2.	पद जिसके लिए आवेदन किया गया (क) सदस्य (न्यायिक) (ख) सदस्य (तकनीकी)		
3.	जन्म तिथि		
4.	पिता का नाम		
5.	क्या अनु.जाति/अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित (संगत प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)		
6.	वर्तमान पता (दूरभाष/फैक्स नंबर) (पत्र व्यवहार के प्रयोजन के लिए)		
7.	गृह राज्य तथा स्थायी पता (दूरभाष/फैक्स नंबर)		
8.	वर्तमान रोजगार/व्यवसाय/सेवा		
9.	मासिक आय/परिलब्धियां		
10.	वर्ष, श्रेणी तथा प्राप्त रैंक बताते हुए शैक्षिक अर्हताएं (डिग्री/डिप्लोपा की केवल सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए।		
11.	कौन सा पात्रता मानदंड पूरा करते हैं बताएं- - पैरा 2(क) से (घ) और पैरा 3 (क) से (ङ)		
12.	अवधियां (पदग्रहण करने तथा छोड़ने की		

	तिथि) प्रत्येक पद के लिए रोजगार का स्वरूप, प्राप्त किए भत्तों आदि के अलावा मूलवेतन बताते हुए वर्तमान पद तथा पिछले रोजगार, धारित पद विशेष रूप से धारित पद विशेष रूप से वर्तमान पद तक, धारित प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग से विस्तृत ब्यौरे, दिए जाएं।	
13.	व्यावसायिक कैरियर के ब्यौरे अर्थात् अधिवक्ता के रूप में नामांकन की तारीख तथा अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस की अवधि तथा स्थान (न्यायालय) चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पंजीकरण की तारीख तथा प्रैक्टिस की अवधि लागत लेखा के रूप में पंजीकरण की तारीख तथा प्रैक्टिस की अवधि कंपनी सचिव के रूप में पंजीकरण की तारीख तथा प्रैक्टिस की अवधि (संगत समर्थकारी दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिएं)	
14.	पदभार ग्रहण करने के लिए अपेक्षित नोटिस की अवधि	
15.	यदि उम्मीदवार सरकारी सेवा में नहीं है तो जिम्मेवारी हैसियत वाले दो व्यक्तियों (जो रिश्तेदार न हो) के नाम व पते (उनसे प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न किए जाने चाहिएं)	
16.	कोई अन्य विशेष अर्हताएं अथवा अनुभव अथवा आवेदन के खाते में प्रकाशन	

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई सूचना सही है तथा मेरा चयन हो जाने पर, कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में मेरी नियुक्ति से पहले मैं त्याग-पत्र दे दूंगा अथवा सेवानिवृत्ति (यदि पहले से ही सरकारी सेवा में है) ले लूंगा।

मैं यह समझता हूं कि कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 की शर्तों के अनुसार कंपनी विधि बोर्ड के स्थान पर राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के नाम से ज्ञात एक नया निकाय बनाया जाएगा तथा यह राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल में कंपनी विधि बोर्ड के सदस्यों की सवा की निरंतरता प्रदान नहीं करता है। मैं पूर्ण रूप से यह समझते हुए आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूं कि कंपनी विधि बोर्ड के सदस्य के रूप में मेरी कार्यवाही (अर्थात् राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के सदस्य (यों) की नियुक्ति की पहली अधिसूचना के जारी होने की तारीख) राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के गठन के साथ ही समाप्त हो जाएगा तथा मैं नए प्रबंध के अंतर्गत सेवा की निरंतरता के बारे में कोई दावा नहीं करूंगा और न ही मैं इस कारण से किसी मुआवजे का दावा नहीं करूंगा।

स्थान:-
दिनांक:-

(तारीख के साथ हस्ताक्षर)

नाम: ....
पता: ....
....
....
....

दूरभाष नं: ....
फैक्स नं.: ....
ई-मेल: ....